**भारत सरकार**
**मत्स्यपालन ,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**
**मत्स्यपालन विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2771**
**18 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए**

# राष्ट्रीय मत्स्यपालन डिजिटल प्लेटफॉर्म

**2771. श्री बस्तीपति नागराजू:**
**श्री बी. के. पार्थसारथी:**

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय मत्स्यपालन डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी) पर पंजीकृत मत्स्य किसानों, सूक्ष्म उद्यमों और मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों और कंपनियों की राज्यवार और वर्षवार कुल संख्या कितनी है;
(ख) सफल पंजीकरणकर्ताओं को संवितरित की जाने वाली प्रोत्साहन राशि का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(ग) प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) के अंतर्गत चिह्नित किए गए कुल ऋण मध्यस्थों की राज्यवार संख्या कितनी है; और
(घ) राष्ट्रीय मत्स्यपालन डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी) पर ऋण प्राप्त करने के इच्छुक कुल उधारकर्ताओं की संख्या कितनी है और सफलतापूर्वक अपने ऋण आवेदनों को पूरा करने वाले और ऋण प्राप्त करने वाले उधारकर्ताओं की संख्या कितनी है तथा ऋण राशि और कार्यकलाप के लिए सहायता का राज्यवार और आंध्र प्रदेश के संबंध में स्थानवार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री**
**(श्री जॉर्ज कुरियन)**

(क) से (घ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक चार वर्षों की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत पर वर्तमान में चल रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

उप-योजना के चार घटक हैं, अर्थात् घटक 1-क: मात्स्यिकी क्षेत्र को व्यवस्थित रूप देना और कार्यशील पूंजी वित्तपोषण के लिए भारत सरकार के कार्यक्रमों तक मात्स्यिकी सूक्ष्म उद्यमों(माइक्रोएंटरप्राइज) की पहुंच को सुविधाजनक बनाना, घटक 1-ख: जलकृषि बीमा लाभ को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना, घटक 2: मात्स्यिकी क्षेत्र मूल्य श्रृंखला(वैल्यू चेन) दक्षताओं में सुधार के लिए सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करना , घटक 3: मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पाद सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाना और उनका विस्तार करना, और घटक 4: परियोजना मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्यपालन विभाग ने 11.09.2024 को पीएम-एमकेएसएसवाई के तहत नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी) लॉन्च किया है। एनएफडीपी का उद्देश्य मात्स्यिकी क्षेत्र में सभी हितधारकों के लिए कार्य-आधारित डिजिटल पहचान और डेटाबेस के निर्माण के माध्यम से भारतीय मात्स्यिकी और जलकृषि क्षेत्र को व्यवस्थित बनाना है। यह संस्थागत ऋण तक पहुँच, मात्स्यिकी सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने, जलकृषि बीमा को प्रोत्साहित करने, निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन, मात्स्यिकी की ट्रेसबिलिटी प्रणाली और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 'वन-स्टॉप' सोल्यूशन के रूप में भी कार्य करता है। एनएफडीपी के तहत अब तक 20,25,676 मछुआरों, सूक्ष्म उद्यमों, एफएफपीओ और कंपनियों को पंजीकृत किया गया है। राज्यवार पंजीकरण का विवरण अनुबंध I में दिया गया है।

प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि-साह योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) घटक 1क के तहत मत्स्य श्रमिकों/उद्यमों के लिए संस्थागत ऋण तक पहुंच को सुगम बनाकर वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए प्रावधान प्रदान करती है। एनएफडीपी के तहत, क्रेडिट फैसिलिटेशन मॉड्यूल विकसित किया गया है और इसे लागू किया गया है। लाभार्थी एनएफडीपी पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। अब तक, लाभार्थियों से 4066 लीड आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 129 आवेदन आंध्र प्रदेश से हैं और उन पर आवश्यक विचार हेतु बैंकों को भेज दिया गया है।

***

**अनुबंध- I**

**नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म के संबंध में 18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए माननीय संसद सदस्य लोकसभा श्री बस्तीपति नागराजू और श्री बी. के. पार्थसारथी द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2771 के उत्तर में उल्लिखित विवरण: भारत में नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत पंजीकरण का राज्यवार विवरण**

| क्र.सं. | राज्य | पंजीकरणों की कुल संख्या | व्यक्तियों की संख्या | संगठन की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 3736 | 3728 | 8 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 225368 | 224336 | 1032 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 1621 | 1611 | 10 |
| 4 | असम | 209935 | 209518 | 417 |
| 5 | बिहार | 98095 | 97706 | 389 |
| 6 | चंडीगढ़ | 196 | 195 | 1 |
| 7 | छत्तीसगढ | 18644 | 18485 | 159 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 1419 | 1413 | 6 |
| 9 | दिल्ली | 509 | 490 | 19 |
| 10 | गोवा | 1934 | 1928 | 6 |
| 11 | गुजरात | 87954 | 87698 | 256 |
| 12 | हरयाणा | 7446 | 7435 | 11 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 7728 | 7692 | 36 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 25095 | 25081 | 14 |
| 15 | झारखंड | 25144 | 24939 | 205 |
| 16 | कर्नाटक | 179146 | 176762 | 2384 |
| 17 | केरल | 237135 | 236863 | 272 |
| 18 | लद्दाख | 50 | 50 | 0 |
| 19 | लक्षद्वीप | 2213 | 2211 | 2 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 65589 | 65002 | 587 |
| 21 | महाराष्ट्र | 207715 | 205966 | 1749 |
| 22 | मणिपुर | 18414 | 18280 | 134 |
| 23 | मेघालय | 20220 | 20185 | 35 |
| 24 | मिजोरम | 3148 | 3138 | 10 |
| 25 | नगालैंड | 5101 | 5087 | 14 |
| 26 | ओडिशा | 139357 | 139145 | 212 |
| 27 | पुदुचेरी | 5625 | 5622 | 3 |
| 28 | पंजाब | 4070 | 4065 | 5 |
| 29 | राजस्थान | 4788 | 4780 | 8 |
| 30 | सिक्किम | 1778 | 1774 | 4 |
| 31 | तमिलनाडु | 109685 | 109585 | 100 |
| 32 | तेलंगाना | 110038 | 109456 | 582 |
| 33 | त्रिपुरा | 76408 | 76307 | 101 |
| 34 | उत्तर प्रदेश। | 63541 | 63264 | 277 |
| 35 | उत्तराखंड | 10228 | 10125 | 103 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 46603 | 46526 | 77 |
| | **कुल** | **2025676** | **2016448** | **9228** |

****